

फार्म

..... 2018 ..... वर्ष के लिए अचल सम्पत्ति विवरण (as on 01.01.2019)

1. अधिकारी का नाम डा० अमित गुप्ता भा० र० ल० सी०  
 (पूरा नाम व सेवा जिससे अधिकारी संबंधित है।)
2. वर्तमान पद अपर निरीक्षक वर्तमान वेतन.....

1. उस जिले, उप-प्रभाग, ताल्लुक और गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति स्थित है।	2. आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि की सम्पत्ति का नाम व पूरा खीरा।	3. वर्तमान मूल्य	4. यदि अपने स्वयं के नाम में नहीं है तो बतायें कि किसके नाम से है तथा उससे सरकारी कर्मचारी का क्या सम्बन्ध है ?	5. सम्पत्ति कैसे अर्जित की ? क्या खरीदी गई, पट्टे पर ली गई, बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य ढंग से ली गई। तारीख जिससे अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई।	6. सम्पत्ति से वार्षिक आय	7. अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<p style="font-size: 2em; color: blue;">शून्य</p>						

दिनांक: 04.01.2019  
 (जो अंश खत्म न हो काट दें।)

हस्ताक्षर.....  
 पूरा नाम डा० अमित गुप्ता भा० र० ल० सी०  
 पदनाम/पेड अपर निरीक्षक  
 रोड/लेखा संख्या.....  
 कार्यालय का नाम सि. ल० लेखा प्रधान निरीक्षक  
चंडीगढ़

- (2.) किन मामलों में सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण सम्भव नहीं हो सकता है तो वर्तमान स्थितियों के हवाले से मूल्य बतायें।  
 टिप्पणी : वित्त मंत्रालय के 17.09.56 के का०/स० (165)/ई-1/56 के अनुसार इस घोषणा पत्र को सेवा के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके द्वारा सारी अचल सम्पत्ति खीरा चाहे अपने नाम में हो अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अर्जित अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त अथवा उसके द्वारा पट्टे पर अथवा बंधक ली गई अपनी प्रकृत निधुक्ति के समय भर कर देना अनिवार्य है और उसके पश्चात हर वर्ष देना होगा।